

27.06.17

पुनश्च:

श्री के.पी.राठौर अधिवक्ता सहित आरोपी उपेन्द्रसिंह उपस्थित।

आरोपी की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 44(2) जा0फौ0 पेश। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी।

आवेदन पर सुना गया। प्रकरण पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवादी विद्युत कंपनी कीरतपुरा की ओर से आरोपी के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत 17020/-रुपये की वसूली हेतु आरोपी के विरुद्ध यह परिवाद पेश किया गया। आरोपी की परिवाद में आवश्यकता है। अतः प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाता है।

आरोपी की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पेश। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी।

उभयपक्ष को आवेदन पर सुना गया।

आवेदन पत्र में आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि विद्युत कंपनी द्वारा झूठा प्रकरण पेश किया गया है उसे जैसे ही प्रकरण की जानकारी हुई वह न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ है। उसे जमानत पर छोड़ा जाये।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी के विरुद्ध लगाया गया आरोप आजीवन कारावास एवं मृत्यु दण्ड से दण्डनीय नहीं है। आरोपी न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुआ है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत आवेदन इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी नियमित पेशियों पर उपस्थित होता रहे तो उसे पन्द्रह हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का बंध पत्र पेश होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु दिनांक 17.08.17 को पेश हो।

सही/-

(वीरेन्द्रसिंह राजपूत)

विशेष न्यायाधीश विद्युत, गोहद
जिला भिण्ड म.प्र.